समाचार-प्रकाशनार्थ:-

4 लेन सड़क निर्माण कार्य व धोलावाड़ न्यू इन्टकवेल का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

रतलाम 28 जून। दो बत्ती से महाराजा सज्जन संह प्रतिमा चौराहे तक चल रहे 4 लेन सड़क निर्माण कार्य व धोलावाड़ न्यू इन्टकवेल का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री मनीष तिवार के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने दो बत्ती 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को निर्दे शत कया क 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य पुरा हो चुका है जिस पर से आवागमन जारी है। दुसरी ओर 2 लेन सड़क निर्माण कार्य के पूर्व नाले व ड्रेनेज पाईप डालने का कार्य शीघ्रता से कया जाये ता क सड़क निर्माण शीघ्र होकर नागरिकों को आवागमन में सु वधा हो सकें। उन्होंने निर्दे शत कया क कार्य के गुणवत्तापूर्ण हो इसका वशेष ध्यान रखें इसके अलावा सड़क का ढलान व्यवस्थित दिया जाये ता क सड़क पर पानी नहीं रूके।

इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने धोलावाड़ न्यू इन्टकवेल का निरीक्षण कर निर्दे शत कया मुख्य मार्ग से इन्टकवेल तक बनाई गई सीमेन्ट कांक्रीट सड़क के दोनो ओर 2.2 लाईन में फलदार पौधे रोपे जायें। इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वंय उपस्थित रहकर पौधा रोपण हेतु गढ्ढे खुदवाने का कार्य प्रारंभ करवाया।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन 28 जून को 78 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा रतलाम 28 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों

की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर

जुलवानिया टे॰ चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 28 जून सोमवार को 78 टन कचरा जुलवानिया टे॰ चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया। 28 जून सोमवार को डम्पर व टे॰क्टर ट्रॉली से 47025ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 18145ए काम्पेक्टर गीला कचरा 11005 व कन्टेटमेंट मैजिक से 2430 कलो इस तरह कुल 78605 कलो कचरा जुलवानिया टे चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

खूले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 7 व्यक्तियों पर जुर्माना बगैर मास्क के 73 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें रतलाम 28 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेत् स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 28 जून को 7 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर वपूल अमृत सागर तालाब पर 1000ए राजेश मालवीय अमृत सागर तालाब पर 200ए दिनेश गौरए प्रेम संहए मंसूरए सत्यनारायण त्रिपो लया गेट व आशीष चांदनी चौक पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इसके अलावा शहर के व भन्न क्षेत्रों में 73 ऐसे व्यक्ति जो बगैर मास्क के पाये गये उन पर 100.100 रूपये का जुर्माना कर मास्क अनिवार्य रूप से लगाये जाने की समझाईश स्पॉट फाईन दल द्वारा दी गई। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा

करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. ७०००८४८४५६ए पवन झांझोट मो.नं. ७०००१२८८१२ए आकाष षन्दे मो.नं. ९४२४०७५५३९३ए ७७२४५८१७४६ मनोज झांझोट मो.नं. ६२६८४४९११०ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

अ भषेक- वनोद को सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी रतलाम 28 जून । वार्ड क्रमांक 34 के कचरा संग्रहण हाथ ठेला सफाई संरक्षक अ भषेक- वनोद द्वारा आये दिन बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने व 26 जून को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी कया गया।

998 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 28 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 28 जून तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 998 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभयान के तहत 28 जून को घांस बाजारए चौमुखी पुलए तोपखाना आदि क्षेत्रों से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजिनक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमित के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500% वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधकारी श्री ए०पी० संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने कये व्यापक प्रबंध

रतलाम 28 जून । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभा वत परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे व भन्न वभागों के अधकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित कया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षितिग्रस्त पुलयाओं को चिन्हित कर रेडयम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालयों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालयों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण वभाग एवं कर्मशाला वभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री वशाल भटनागर मों०नं० 9300885504ए ईश्वर नगर वद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मों० नं० 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री वजय अग्रवाल मों० नं० 9907454456ए अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश संह सेंगर मों० नं० 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मों० नं० 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भ मों० नं० 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मों० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मों० नं० 9644000433 को नियुक्त कया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री वकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के सहयोग से समु चत व्यवस्था स्निश्चित् करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वतरण के लये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लये पम्प आदि की व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समु चत निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के व भन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-ना लयों की वर्षा पूर्व समु चत सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की निय मत रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अ धकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश

हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधत को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्था पत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले ना लयों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नालेना लयों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर वद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधतों को दिये।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पालयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डी की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डी में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार ∕ज.सं. व. हेमन्त ∕28ण6ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.